उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या : 15/2016/33/छप्पन-2016-93/2014

लखनऊ : दिनांक : 09 फरवरी, 2016

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग वित्तीय वर्ष : 2015-16 (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय					
207000114030004	1600	300	300	300	1300
207000114030006	37900	4600	4600	4600	33300
207000114030044	245	100	100	100	145
योग	39745	5000	5000	5000	34745

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय					
207000114030042	150358	155358	5000	5000	155358
योग	150358	155358	5000	5000	155358

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार एरियर, विशेष उड़ान भत्ते एवं यात्रा भत्ता देयकों का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है- निदेशालय के वाहनों के अनुरक्षण, ईधन के बिलों तथा निदेशालय परिसर, वी0आई0पी0 लाउंज, प्रशासकीय भवन, आवासी कालोनी आदि में अनुरक्षण कार्यों तथा वायुयानों तथा हेलीकॉप्टरों के अनुरक्षण कार्यों, ए0टी0एफ0 बिलों, लैण्डिंग बिलों के लम्बित होने के फलस्वरूप व्ययाधिक्य हो रहा है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग।

संख्या : 15/2016/33(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- गार्ड बुक।

आर.ई. संख्या- 331/ई-7/दस-2016, दिनांक : 03 फरवरी, 2016

सेवा में,
महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर .....
(अरूण कुमार दुबे)
अनु सचिव,
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in